



2026:RJ-JP:37338

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6974/2026
CNR: RJHC010509032026
URN: CRLMB / 15501U / 2026

Murad Ali

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ravindra Kumar Acharya Mr. Avinash Acharya
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT
Order

09/07/2026

इस मामले में प्रथम जमानत का प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.03.2026 को आहत मुकेश के पुलिस अनुसंधान में अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में जैसी भी स्थिति हो बयान होने के पश्चात पुनः जमानत प्रार्थना-पत्र पेश करने की स्वतंत्रता के साथ जरिये विज्ञोवल खारिज किया गया था। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा बताया कि आहत मुकेश बयान देने की स्थिति में अभी भी नहीं है और पुलिस द्वारा आज दिन तक बयान नहीं लिए हैं एवं बयान देने की संभावना भी नहीं होने से गुणावगुण पर प्रार्थना-पत्र निस्तारित किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि इस मामले में अनुसंधान अधिकारी से यह स्पष्ट कर रिपोर्ट पेश करें कि आहत मुकेश बयान देने की स्थिति में है अथवा नहीं और यदि बयान देने की स्थिति में है तो बयान रिकॉर्ड किए गए अथवा नहीं एवं यदि बयान रिकॉर्ड किए गए हैं तो इस न्यायालय में बयान पेश किए जावे एवं सी.ओ. डायरी आयंदा पेश की जावे।

प्रकरण एक सप्ताह पश्चात सूचीबद्ध किया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J